

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नर्मदापुरम(म0प्र0)

—:आदेश:—

क्रमांक 778/दो-11-2/19

नर्मदापुरम, दिनांक 04.08.2026

श्री रामसेवक भल्लावी, साक्ष्य लेखक, न्यायालय प्रथम जिला न्यायाधीश, पिपरिया का दिनांक 25.07.2026 से 30.07.2026 तक कुल 06 दिवस का अर्जित अवकाश, मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश स्वीकृति पश्चात् आवेदक के अर्जित अवकाश लेखे में 214 दिवस का स्वत्व शेष है।

- 1— अवकाश अवधि में धारित पद रिक्त रहा
- 2— अवकाश अवधि मूलभूत नियम 26 (बी) (दो) के तहत प्रमाणित की जाती है।


जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम, (म.प्र.)

3511
पृ0क0 /दो-11-2/19

नर्मदापुरम, दिनांक 04.08.2026

यथाआदेश प्रतिलिपि:—

- 01— प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, पिपरिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।
- 02— प्रथम जिला न्यायाधीश, पिपरिया की ओर श्री रामसेवक भल्लावी, साक्ष्य लेखक को सूचित कराये जाने हेतु प्रेषित है।
- 03— जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, नर्मदापुरम की ओर संबंधित कर्मचारी की ईमेल आईडी पर भेजे जाने हेतु प्रेषित है।


जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम, (म.प्र.)